श्रम मंत्री सम्मेलन

1334. **श्री चतुरानन मिश्र :**

श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 फरवरी को केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में अलग-अलग राज्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन समस्याओं के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या यह सच है कि लिये गये कतिपय निर्णयों से पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री सहमत नहीं थे, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री) श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 6-2-92 को आयोजित किए गए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ, औद्योगिक संबंध विधान पर रामानुजम समिति की रिपोर्ट तथा नई औद्योगिक नीति के अनुसरण में श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार किया जिसमें राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिए संकल्पनात्मक ढांचा शामिल है । बैठक में इस बात पर आम सहमति थी कि रामानुजम समिति की वे सिफारिशें स्वीकार कर ली जाए जिन पर सर्व सम्मति है । यह भी निर्णय लिया गया था कि मतैक्य प्राप्त करने की दृष्टि से रामानुजम समिति की रिपोर्ट में असहमति वाले विषयों की जांच करने के लिए पांच राज्यों के श्रम मंत्रियों की एक समिति नियुक्त की जाए । इस निर्णय के अनुसरण में कोयल राज्य मंत्री श्री पी०ए० संगमा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है जिसमें उत्तर प्रदेश, प० बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के श्रम मंत्री शामिल हैं ।

(घ) प० बंगाल के श्रम मंत्री का विचार था कि अस्पतालों और अन्य संस्थानों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के कार्यक्षेत्र से बाहर न रखा जाए । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि तथापि अस्पतालों के प्रबंधन और कर्मचारियों को संयुक्त, प्रबंधन परिषद तंत्र में शामिल करके ऐसे संस्थानों में हड़तालों की घटना को कम करने पर विचार किया जा सकता है । उन्होंने राष्ट्रीय नवीकरण निधि की संकल्पना पर कड़ी आपत्ति भी की ।

सीमेंट फैक्टरी, माधोपुर के श्रमिकों को वेतन की अदायगी का नहीं किया जाना

1335. **डा० अबरार अहमद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट फैक्टरी में कार्यरत श्रमिकों को इस फैक्टरी को बन्द करने की घोषणा किए बिना ही पिछले साढ़े चार वर्ष से उनके वेतन की अदायगी नहीं की गई है ; यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ख) क्या सरकार के पास इन श्रमिकों को अन्य वैकल्पिक नौकरियां देने की कोई योजना है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, विभिन्न कारणों से कारखाने में उत्पादन की लगातार हानि होने के कारण जून, 1987 से कर्मकारों की मजदूरी का भुगतान रोक दिया गया था। 1988 के दौरान पिछले चार महीनों की बकाया मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। तथापि कर्मकारों को दिसम्बर, 1990 तक कुल 39 महीनों की अवधि के लिये मजदूरी का भुगतान अभी किया जाना है। रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 3(1) (ण) के अनुसार सीमेंट कारखाना रूग्ण औद्योगिक कंपनी हो गया है और इसके पुनरुद्धार के लिये औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड इस मामले पर सक्रियता से विचार कर रहा है।

Changes in Minimum Wages Act

1336. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:
DR. SANJAYA SINH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are considering changes in the Minimum Wages Act;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) by when the proposed changes are likely to be implemented?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The proposals for the amendment of the Minimum Wages Act, 1948 have not yet been finalised.

Exist scheme of Public Sector

1337. DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 2·5 lakh employees in 58 sick public sector units are estimated to be redundant and would come under the exist scheme as has been alleged in some newspapers; and

(b) what are the particulars of the scheme and whether the respective trade unions will be consulted in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P.K. THUNGON) : (a) and (b) As per the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act 1985, all sick industrial companies in the public sector are liable to be referred to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) for the formulation of suitable revival/rehabilitation schemes. Based on the performance upto the year 1990-91 there are 54 such sick industrial public sector undertakings and the total number of regular employees in these 54 enterprises are 3·33 lakh as on 31·3·1991. BIFR which will consider specific viable proposal for suitable revival/rehabilitation and may also examine the number of employees becoming redundant in each case. During the course of its examination, BIFR might consult the Trade Unions. Besides these special Tripartite Committee set up by the Government is also consulting the various Trade Unions as to how best the various units can be reviewed/rehabilitated to the extent possible.